सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

मांग संख्या 68

सूक्ष्म , लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
कुल	5624.20	23.63	5647.83	15329.65	370.00	15699.65	15335.45	364.20	15699.65	20916.00	506.00	21422.00
वसूलियां	*-192.56*	...	-192.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
प्राप्तियां	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
निवल	**5431.64**	**23.63**	**5455.27**	**15329.65**	**370.00**	**15699.65**	**15335.45**	**364.20**	**15699.65**	**20916.00**	**506.00**	**21422.00**
क.निवल वसूलियों को घटाने के बाद बजट आबंटन इस प्रकार है:												
केंद्र का व्यय												
केन्द्र का स्थापना व्यय												
1. सचिवालय	23.64	...	23.64	24.10	...	24.10	25.65	...	25.65	28.05	...	28.05
2. विकास आयुक्त (एमएसएमई)	272.00	...	272.00	46.30	...	46.30	33.60	...	33.60	36.10	...	36.10
जोड़-केन्द्र का स्थापना व्यय	**295.64**	**...**	**295.64**	**70.40**	**...**	**70.40**	**59.25**	**...**	**59.25**	**64.15**	**...**	**64.15**
केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं												
खादी ग्रामोद्योग और कयर उद्योगों का विकास												
3. खादी अनुदान (के जी)	222.17	...	222.17	350.00	...	350.00	375.25	...	375.25	...	...	...
4. परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति)	349.12	...	349.12	170.00	...	170.00	406.02	...	406.02	334.00	...	334.00
5. कॉयर विकास योजना	80.69	...	80.69	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00	80.00	...	80.00
6. सोलर चरखा मिशन	...	...	...	5.04	...	5.04	5.04	...	5.04	5.04	...	5.04
7. खादी विकास योजना	178.11	...	178.11	250.00	...	250.00	305.13	...	305.13	...	...	...
8. ग्रामोद्योग विकास योजना	37.35	...	37.35	50.00	...	50.00	60.88	...	60.88	...	...	...
9. *खादी ग्रामोद्योग विकास योजना*												
9.01 खादी अनुदान (केजी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	375.25	...	375.25
9.02 खादी विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	305.13	...	305.13
9.03 ग्रामोद्योग विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	68.61	...	68.61
जोड़- खादी ग्रामोद्योग विकास योजना	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*748.99*	...	*748.99*
जोड़-खादी ग्रामोद्योग और कॉयर उद्योगों का विकास	**867.44**	**...**	**867.44**	**905.04**	**...**	**905.04**	**1232.32**	**...**	**1232.32**	**1168.03**	**...**	**1168.03**
प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन												
10. एस्पायर नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन)	13.26	...	13.26	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	20.00	...	20.00
11. ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम	1120.11	...	1120.11	315.31	...	315.31	170.25	...	170.25	...	...	...

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
12. एमएसएमई चेंपियन स्कीम	...	...	...	...	...	...	...	...	...	60.72	...	60.72
जोड़-प्रौद्योगिकी उन्नयन और गुणवत्ता प्रमाणन	**1133.37**	**...**	**1133.37**	**330.31**	**...**	**330.31**	**180.25**	**...**	**180.25**	**80.72**	**...**	**80.72**
प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें												
13. प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी)	1905.80	...	1905.80	2000.00	...	2000.00	2950.00	...	2950.00	2500.00	...	2500.00
14. ऋण सहायता कार्यक्रम	...	...	...	0.04	...	0.04	0.08	...	0.08	0.08	...	0.08
15. एमएसएमई को संवर्धित ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना	350.00	...	350.00	199.66	...	199.66	0.04	...	0.04	0.04	...	0.04
16. दबाव संपत्ति निधि	...	...	...	300.00	...	300.00	1.00	...	1.00	100.00	...	100.00
17. पात्र एमएसएमई ऋणदाओं को आपातकाल ऋण सुविधा (जीईसीएल)	...	...	...	10000.00	...	10000.00	10000.00	...	10000.00	15000.00	...	15000.00
जोड़-प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) और अन्य क्रेडिट सहायता स्कीमें	**2255.80**	**...**	**2255.80**	**12499.70**	**...**	**12499.70**	**12951.12**	**...**	**12951.12**	**17600.12**	**...**	**17600.12**
विपणन संवर्धन स्कीम												
18. प्रापण और विपणन विकास कार्यक्रम (एमडीए)	12.67	...	12.67	24.96	...	24.96	18.00	...	18.00	24.96	...	24.96
19. अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना	1.80	...	1.80	15.00	...	15.00	10.00	...	10.00	13.00	...	13.00
जोड़-विपणन संवर्धन स्कीम	**14.47**	**...**	**14.47**	**39.96**	**...**	**39.96**	**28.00**	**...**	**28.00**	**37.96**	**...**	**37.96**
उद्यमिता और कौशल विकास												
20. महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान	6.19	...	6.19	7.50	...	7.50	10.41	...	10.41	10.41	...	10.41
21. संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम	130.30	...	130.30	176.70	...	176.70	140.74	...	140.74	182.82	...	182.82
22. सूचना, शिक्षा और संचार	3.79	...	3.79	6.72	...	6.72	4.50	...	4.50	6.76	...	6.76
23. प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता	24.00	...	24.00	30.00	...	30.00	50.00	...	50.00	32.00	...	32.00
24. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि	...	...	...	0.01	...	0.01	...	...	...	...	...	...
25. निधियों के लिए निधि	...	...	...	...	350.00	350.00	...	350.00	350.00	...	486.00	486.00
जोड़-उद्यमिता और कौशल विकास	**164.28**	**...**	**164.28**	**220.93**	**350.00**	**570.93**	**205.65**	**350.00**	**555.65**	**231.99**	**486.00**	**717.99**
अवसंरचना विकास कार्यक्रम												
26. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	395.77	...	395.77	507.63	...	507.63	307.63	...	307.63	...	...	...
27. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण												
27.01 सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एसएसई-सीडीपी)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	262.00	...	262.00
27.02 उपकरण कक्ष और तकनीकी संस्थाएं	...	...	...	...	...	...	...	...	...	235.00	...	235.00
27.03 एनईआर एवं सिक्किम में एमएसएमई का संवर्धन	...	...	...	...	...	...	...	...	...	50.00	...	50.00
27.04 टीसी/टीएस/डीआई के लिए अवसंरचना समर्थन और सार्वजनिक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय (कार्यालय आवास का निर्माण)	...	...	...	...	...	...	...	...	...	21.03	20.00	41.03
जोड़- अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण	...	...	...	...	...	...	...	...	...	*568.03*	*20.00*	*588.03*
28. नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना	48.58	...	48.58	300.00	...	300.00	43.10	...	43.10	80.00	...	80.00
29. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक	327.10	...	327.10	280.00	...	280.00	205.00	...	205.00	...	...	...
30. प्रोद्योगिकी केन्द्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) ईएपी	...	...	...	...	...	...	...	...	...	205.00	...	205.00
31. कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय	...	23.63	23.63	...	20.00	20.00	...	14.20	14.20	...	...	...
32. एमएसएमई कार्यनिष्पादन - आरएएमपी का उत्थान एवं त्वरावर्धन	...	...	...	...	...	...	0.03	...	0.03	723.00	...	723.00

(₹ करोड़ में)

	वास्तविक 2020-2021			बजट 2021-2022			संशोधित 2021-2022			बजट 2022-2023		
	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़	राजस्व	पूंजी	जोड़
जोड़-अवसंरचना विकास कार्यक्रम	**771.45**	**23.63**	**795.08**	**1087.63**	**20.00**	**1107.63**	**555.76**	**14.20**	**569.96**	**1576.03**	**20.00**	**1596.03**
अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन												
33. डाटाबेस अनुसंधान मूल्यांकन तथा अन्य कार्यालय सहायता कार्यक्रम	1.38	...	1.38	23.64	...	23.64	0.10	...	0.10	2.00	...	2.00
34. सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान	0.37	...	0.37	2.00	...	2.00	3.00	...	3.00	5.00	...	5.00
35. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र	120.00	...	120.00	150.00	...	150.00	120.00	...	120.00	150.00	...	150.00
जोड़-अनुसंधान और मूल्यांकन अध्ययन	**121.75**	**...**	**121.75**	**175.64**	**...**	**175.64**	**123.10**	**...**	**123.10**	**157.00**	**...**	**157.00**
जोड़-केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीमें/परियोजनाएं	**5328.56**	**23.63**	**5352.19**	**15259.21**	**370.00**	**15629.21**	**15276.20**	**364.20**	**15640.40**	**20851.85**	**506.00**	**21357.85**
केंद्रीय क्षेत्र का अन्य व्यय												
अन्य												
36. वास्तविक वसूलियां	-192.56	...	-192.56	...	...	...	...	...	...	...	...	...
राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को अन्तरण												
केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं												
37. खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएस)-राज्य	...	...	...	0.04	...	0.04	...	...	...	...	...	...
कुल जोड़	***5431.64***	***23.63***	***5455.27***	***15329.65***	***370.00***	***15699.65***	***15335.45***	***364.20***	***15699.65***	***20916.00***	***506.00***	***21422.00***
ख. विकास शीर्ष												
आर्थिक सेवाएं												
1. ग्राम एवं लघु उद्योग	5408.00	...	5408.00	13848.06	...	13848.06	13837.07	...	13837.07	18885.31	...	18885.31
2. सचिवालय- आर्थिक सेवाएं	23.64	...	23.64	24.10	...	24.10	25.65	...	25.65	28.05	...	28.05
3. ग्राम एवं लघु उद्योगों पर पूंजी परिव्यय	...	23.63	23.63	...	220.00	220.00	...	214.20	214.20	...	457.00	457.00
जोड़-आर्थिक सेवाएं	**5431.64**	**23.63**	**5455.27**	**13872.16**	**220.00**	**14092.16**	**13862.72**	**214.20**	**14076.92**	**18913.36**	**457.00**	**19370.36**
अन्य												
4. पूर्वोत्तर क्षेत्र	...	...	...	1457.46	...	1457.46	1472.73	...	1472.73	2002.64	...	2002.64
5. राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	...	...	...	0.03	...	0.03	...	...	...	...	...	...
6. पूर्वोत्तर क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	...	...	...	...	150.00	150.00	...	150.00	150.00	...	49.00	49.00
जोड़-अन्य	**...**	**...**	**...**	**1457.49**	**150.00**	**1607.49**	**1472.73**	**150.00**	**1622.73**	**2002.64**	**49.00**	**2051.64**
कुल जोड़	**5431.64**	**23.63**	**5455.27**	**15329.65**	**370.00**	**15699.65**	**15335.45**	**364.20**	**15699.65**	**20916.00**	**506.00**	**21422.00**

(₹ करोड़ में)

	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़	बजट सहायता	आं. ब. बा. सं.	जोड़
ग. सार्वजनिक उद्यम में निवेश												
1. राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम	...	110.28	110.28	...	250.00	250.00	...	265.00	265.00	...	275.00	275.00
जोड़	**...**	**110.28**	**110.28**	**...**	**250.00**	**250.00**	**...**	**265.00**	**265.00**	**...**	**275.00**	**275.00**

1. **सचिवालय:** सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के लिए स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

2. **विकास आयुक्त (एमएसएमई):** विकास आयुक्त (एमएसएमई) का कार्यालय, एमएसएमई मंत्रालय का संबद्ध निकाय है जो देश में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के संवर्धन एवं विकास के लिए नीतियों और कार्यक्रमों का सूत्रीकरण, समन्वय और देखरेख से संबंधित कई पहलुओं का ध्यान रखते हैं। मुख्यालय डीसी (एमएसएमई) के स्थापना संबंधी व्यय के लिए प्रावधान किया गया है।

3. **खादी अनुदान (के जी):** खादी अनुदान योजना का वर्ष 2022-23 से खादी ग्रामोद्योग विकास योजना में विलय कर दिया गया है।

4. **परंपरागत उद्योगों के पुनर्सृजन के लिए निधि स्कीम (स्फूर्ति):** इस योजना का उद्देश्य सामूहिक और उनके उत्पादनों में मूल्यवर्धन हेतु पारंपरिक उद्योग और शिल्पकार का गठन करना है, ताकि उन्हें वर्धित और सतत् आय प्रदान की जा सके। शिल्पकारों को समान सुविधा केंद्र, नई मशीनरियों, कच्चे माल की खरीद, क्षमता निर्माण, योजना के अंतर्गत विपणन और डिजाइन संबंधी हस्तक्षेप के गठन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। योजना के अंतर्गत मुख्य क्षेत्र में हस्तशिल्प, वस्त्र, कृषि प्रसंस्करण , शहद, बांस इत्यादि शामिल हैं। अबतक 434 समूह की अनुमति प्रदान की जा चुकी है जिसमें 2.5 लाख शिल्पकारों को लाभ होने की उम्मीद है।

5. **कॉयर विकास योजना:** कॉयर विकास योजना कॉयर बोर्ड द्वारा कार्यान्वित की जाती है जो कॉयर उद्योग के समग्र विकास के संवर्धन और इस परंपरागत उद्योग में नियुक्त कर्मचारियों की जीवन स्थिति में सुधार के लिए कॉयर उद्योग अधिनियम, 1953 के अंतर्गत गठित सांविधिक निकाय है। कॉयर उद्योग के विकास के लिए बोर्ड के कार्यकलापों में अन्य बातों के साथ-साथ, उत्पादन और डिजाइन को विकसित करना; भारत तथा विदेश में कॉयर विपणन और कॉयर उत्पाद शामिल हैं। यह भूसी, कॉयर फाइबर, कॉयर धागा और कॉयर उत्पादों के विनिर्माण के बीच सहयोगी संगठन को बढ़ावा देती है; निर्माताओं और विनिर्माणकर्ता इत्यादि को लाभकारी विवरण सुनिश्चित करता है।

ii. कॉयर विकास योजना के अंतर्गत कॉयर क्षेत्र में अधिक उद्यम को आकर्षित करने के लिए योजना के विभिन्न घटकों के अंतर्गत उद्यमिता विकास कार्यक्रम, जागरूकता कार्यक्रम, कार्यशाला, संगोष्ठी, अनावृत्ति यात्रा जैसे विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करती है। कॉयर उद्योगों में अपेक्षित दक्ष जनशक्ति सृजन करने के क्रम में बोर्ड विनिर्माण और मूल्यवर्धित उत्पादों पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करते है। कौशल विकास और रोजगार सृजन (कौशल उन्नयन और महिला कॉयर योजना), नई इकाइयों (उत्पादन अवसंरचना के विकास (डीपीआई), सीआईपीटीयूएस एवं पीजीईजीपी योजनाएं) के माध्यम से) की गठन के लिए सहायता प्रदान करना और पीएमएसबीवाई के माध्यम से कॉयर क्षेत्र कर्मचारियों का कल्याण। कॉयर उद्यमियों को निर्यात और घरेलू व्यापार के लिए सहायता प्रदान की जाता है।

6. **सोलर चरखा मिशन:** इस योजना में सौर चरखा क्लस्टर स्थापित करने की परिकल्पना की गई है, जिसका अर्थ होगा 8 से 10 किलोमीटर के दायरे में एक फोकल गांव और आसपास के अन्य गांव। इसके अलावा, ऐसे क्लस्टर में 200 से 2042 लाभार्थी होंगे, अर्थात स्पिनर बुनकर टांके लगाने वाले और अन्य कुशल कारीगर। इस योजना के तहत लंबित देनदारियों को चुकाने का प्रावधान किया गया है। अब यह निर्णय लिया गया है कि पहले से स्वीकृत 09 परियोजनाओं को पायलट परियोजनाओं के रूप में शुरू किया जाए और इन परियोजनाओं के परिणाम के आधार पर योजना को जारी रखने या अन्यथा तय किया जाएगा। यह प्रावधान पहले से स्वीकृत परियोजनाओं के प्रावधानों को पूरा करने के लिए है।

7. **खादी विकास योजना:** खादी अनुदान योजना का वर्ष 2022-23 से खादी ग्रामोद्योग विकास योजना में विलय कर दिया गया है।

8. **ग्रामोद्योग विकास योजना:** खादी अनुदान योजना का वर्ष 2022-23 से खादी ग्रामोद्योग विकास योजना में विलय कर दिया गया है।

9.01. इस उप-शीर्ष के अंतर्गत बजटीय आबंटन वेतन, पेंशन, यात्रा भत्ता, महंगाई भत्ता और खादी ग्राम उद्योग आयोग (केवीआईसी) के कर्मचारियों के आकस्मिकता को पूरा करने के लिए किया गया है जो एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत स्वायत्त निकाय है।

9.02. खादी अनुदान और ग्रामोद्योग अनुदान छत्रों के तहत सभी मौजूदा योजनाओं उप-योजनाओं के घटकों को शामिल करके, खादी नामक एक नई योजना ग्रामोद्योग विकास खादी अनुदान खादी की उप-योजनाओं के साथ योजना केजीवीवाई विकास योजना (केवीवाई) और ग्रामोद्योग विकास योजना (जीवीवाई) को फरवरी 2019 में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया था।

खादी विकास योजना केवीवाई देश में खादी को बढ़ावा देने के लिए है। इसमें बाजार संवर्धन विकास कार्यक्रम एमपीडीए और ब्याज सब्सिडी पात्रता प्रमाणपत्र (आईएसईसी) आदि जैसी मौजूदा योजनाओं के अलावा डिजाइन हाउस का एक नया घटक अब खादी के लिए उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया गया है।

9.03. सामान्य सुविधाओं के माध्यम से ग्रामोद्योगों का संवर्धन और विकास तकनीकी आधुनिकीकरण, प्रशिक्षण आदि ग्रामोद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अन्य सहायता और सेवाएं। जीवीवाई में निम्नलिखित घटक होंगे:-

क. अनुसंधान और विकास और उत्पाद नवाचार

ख. ग्रामोद्योगों के मौजूदा समर्पित कार्यक्षेत्रों की गतिविधियां

ग. क्षमता निर्माण

घ. विपणन और प्रचार

10. **एस्पायर नवप्रवर्तन, ग्रामीण उद्योग एवं उद्यमिता संवर्धन):** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने उद्यमिता में तेजी लाने और कृषि-उद्योग में नवाचार और उद्यमिता के लिए स्टार्ट-अप को बढ़ावा देने के लिए 18.03.2015 को एस्पायर (नवाचार, ग्रामीण उद्योग और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए एक योजना) नामक एक नई योजना शुरू की। यह योजना 2015-16 में शुरू की गई थी। योजना के मुख्य घटक निम्नलिखित की स्थापना पर ध्यान केंद्रित करते हैं: (क) लाइवलीहुड बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (एलबीआई), (ख) टेक्नोलॉजी बिजनेस इनक्यूबेशन सेंटर (टीबीआई) और (ग) सिडबी के तहत फंड ऑफ फंड्स (एफओएफ)।

11. **ऋण आधारित पूंजी सब्सिडी तथा प्रौद्योगिकी उन्नयन स्कीम:** क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी योजना को कैबिनेट द्वारा सनसेट क्लॉज के साथ मंजूरी दी गई थी और यह 31.03.2020 तक लागू थी। सीएलसीएस घटक का उद्देश्य विशिष्ट उप-क्षेत्र / उत्पादों में अच्छी तरह से स्थापित और सिद्ध प्रौद्योगिकियों को शामिल करने के लिए संस्थागत वित्त के माध्यम से एमएसई को प्रौद्योगिकी की सुविधा प्रदान करना था। इस योजना के तहत संस्थागत ऋण पर 15% की सब्सिडी चिन्हित क्षेत्रों/उप-क्षेत्रों/प्रौद्योगिकियों के लिए एमएसई को 1.0 करोड़ (अर्थात 15.00 लाख रुपये की सब्सिडी सीमा) बढ़ा दी गई थी। यह योजना 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से लागू की गई थी, हालांकि, लगभग सभी वाणिज्यिक बैंक, प्रा. बैंक और आरआरबी इन 11 नोडल बैंकों/एजेंसी के माध्यम से पीएलआई के रूप में कार्य कर रहे हैं। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए महिला उद्यमियों और विशेष क्षेत्रों के उद्यमियों को भी किसी भी प्रकार के संयंत्र और मशीनरी/उपकरण और प्रौद्योगिकी उन्नयन के अधिग्रहण/प्रतिस्थापन में निवेश के लिए सब्सिडी को स्वीकार्य बनाया गया है। प्राप्त सभी पात्र सब्सिडी दावों का निपटारा कर दिया गया है। प्रौद्योगिकी उन्नयन योजना (टीईक्यूयूपी) और प्रौद्योगिकी अधिग्रहण और विकास निधि योजना (टीएडीएफ) को इस योजना में मिला दिया गया है।

12. **एमएसएमई चेंपियन योजना :** पूर्ववर्ती सीएलसीएस-टीयूएस योजनाएं जेड लीन और अन्य जैसे इनक्यूबेशन स्कीम आईपीआर योजना और डिजाइन योजनाएं एक साथ एकीकृत की जाएंगी और तालमेल में संचालित की जाएंगी जिन्हें निम्नलिखित एमएसएमई-सस्टेनेबल, एमएसएमई-प्रतिस्पर्धी, एमएसएमई-इनोवेटिव, नामों से पहचाना जाएगा। एमएसएमई चैंपियंस एक ही उद्देश्य के साथ विभिन्न योजनाओं और हस्तक्षेपों को एकीकृत, तालमेल और अभिसरण करने के लिए एक समग्र दृष्टिकोण के अंतिम उद्देश्य क्लस्टरों और उद्यमों को चुनना और उनकी प्रक्रियाओं का आधुनिकीकरण करना, अपव्यय को कम करना, व्यापार प्रतिस्पर्धात्मकता को तेज करना और उनकी राष्ट्रीय और वैश्विक पहुंच और उत्कृष्टता को सुविधाजनक बनाना है।

13. **प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी):** प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) नामक एक क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना 2008-09 में प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) और ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) की पूर्ववर्ती योजनाओं के विलय के माध्यम से शुरू की गई थी। पीएमईजीपी का उद्देश्य पारंपरिक कारीगरों और बेरोजगार युवाओं की मदद करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। सामान्य श्रेणी के लाभार्थी ग्रामीण क्षेत्रों में परियोजना लागत का 25% और शहरी क्षेत्रों में 15% की मार्जिन मनी सब्सिडी का लाभ उठा सकते हैं। विशेष श्रेणियों जैसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं से संबंधित लाभार्थियों के लिए मार्जिन मनी सब्सिडी ग्रामीण क्षेत्रों में 35% और शहरी क्षेत्रों में 25% है। परियोजनाओं की अधिकतम लागत विनिर्माण क्षेत्र में 25 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र में 10 लाख रुपये है। 2020-21 तक की स्थापना के बाद से ,16000 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी (एमएम) की सब्सिडी का उपयोग करके कुल 7.02 लाख इकाइयों की स्थापना की गई थीं जिसने लगभग 56 लाख लोगों को रोजगार प्रदान किया।

14. **ऋण सहायता कार्यक्रम:** ऋण सहायता कार्यक्रम के तहत, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड (सीजीटीएमएसई) के माध्यम से सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी योजना चालू है। इस योजना के माध्यम से, नए और साथ ही मौजूदा सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए सदस्य ऋण संस्थान (एमएलआई) द्वारा विस्तारित संपार्श्विक मुक्त ऋण सुविधा के लिए गारंटी कवर प्रदान किया जाता है। अधिकतम ऋण सीमा 100 लाख से 200 लाख रुपये तक बढ़ा दी गई है। इस कोष को 2500 करोड़ से 7500 करोड़ रुपये तक बढ़ा दिया गया है।

15. **एमएसएमई को संवर्धित ऋण के लिए ब्याज सहायता योजना:** एमएसएमई 2018 को इंक्रीमेंटल क्रेडिट के लिए ब्याज सबवेंशन स्कीम में अधिकतम एमएसएमई को 1.00 करोड़ रु. तक नए अथवा इंक्रीमेंटल ऋण पर 2 प्रतिशत ब्याज सबवेंशन का प्रस्ताव रखती है, जिनके पास वैध जीएसटीएन नंबर और उद्योग आधार नंबर / उद्योग पंजीकरण है। यह योजना भारतीय लघु उद्योग बैंक (सिडबी) द्वारा लागू की गई थी। इस योजना का उद्देश्य विनिर्माण और सेवा उद्यमों दोनों को उनकी उत्पादकता बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना था। यह योजना 31.03.2021 तक उपलब्ध थी।

16. **आपदाग्रस्त संपत्ति निधि:** भारत सरकार अधीनस्थ ऋण के रूप में 20,000 करोड़ रुपये के प्रावधान की सुविधा प्रदान करेगी । इससे दो लाख एमएसएमई को लाभ होने की संभावना है। कार्यशील एमएसएमई जो एनपीए हैं या तनावग्रस्त हैं वे पात्र होंगे। सरकार सीजीटीएमएसई को 4,000 करोड़ रुपये की सहायता प्रदान करेगा । सीजीटीएमएसई बैंकों को आंशिक क्रेडिट गारंटी सहायता प्रदान करेगा। एमएसएमई के प्रमोटरों को बैंकों द्वारा कर्ज दिया जाएगा, जिसे बाद में प्रमोटर द्वारा यूनिट में इक्विटी के रूप में डाला जाएगा। इस योजना को 31.03.2022 तक बढ़ा दिया गया है।

17. **पात्र एमएसएमई ऋणदाओं को आपातकाल ऋण सुविधा (जीईसीएल):** आत्म निर्भर भारत के हिस्से के रूप में अभियान, आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना (ईसीएलजीएस 1.0) वित्त मंत्रालय द्वारा 23.05.2020 को शुरू की गई थी और इसे वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। जैसा कि डीएफएस द्वारा सूचित किया गया है, इस योजना के तहत, 41,600 करोड़ रु. के एक कोष को कैबिनेट ने मंजूरी दी थी। एडब्ल्यू ने सूचित किया है कि वित्त वर्ष 2020-21 में 4000.00 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2021-22 में 13000.00 करोड़ रुपये, वित्त वर्ष 2022-23 में 15000.00 करोड़ रुपये और वित्तीय वर्ष 2023-24 में 9600.00 करोड़ रुपये के चार चरणों में कोष उपलब्ध कराया जाना है।

18. **प्रापण और विपणन विकास कार्यक्रम (एमडीए):** व्यवसाय विकास के लिए एक रणनीतिक उपकरण विपणन, एमएसएमई के विकास और अस्तित्व के लिए महत्वपूर्ण है। जानकारी की कमी, संसाधनों की कमी और बिक्री/विपणन के असंगठित तरीकों के कारण, एमएसएमई क्षेत्र को अक्सर नए बाजारों की खोज करने और मौजूदा बाजारों को बनाए रखने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, एमएसएमई क्षेत्र में उत्पादों और सेवाओं की विपणन क्षमता बढ़ाने के लिए खरीद और विपणन सहायता योजना शुरू की गई है। खरीद और विपणन सहायता योजना का उद्देश्य है (i) देश भर में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों/प्रदर्शनियों/एमएसएमई एक्सपो आदि में नई बाजार पहुंच पहल को बढ़ावा देना। (ii) एमएसएमई को मार्केटिंग में पैकेजिंग के महत्व / विधियों / प्रक्रिया, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, जीईएम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्क्लेव, अंतर्राष्ट्रीय / राष्ट्रीय व्यापार में नवीनतम विकास और बाजार पहुंच विकास के लिए अन्य विषयों / प्रासंगिक विषयों के बारे में जागरूकता पैदा करना और शिक्षित करना।

19. **अंतर्राष्ट्रीय सहयोग योजना:** अंतर्राष्ट्रीय सहयोग आईसी योजना का उद्देश्य निर्यात बाजार में प्रवेश करने के लिए एमएसएमई की क्षमता निर्माण करना है, ताकि वे विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों, मेलों, सम्मेलनों, क्रेता-विक्रेताओं की बैठकों में भाग ले सकें और साथ ही उन्हें कार्रवाई योग्य बाजार आसूचना प्रदान कर सकें और माल और सेवाओं के निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति कर सकें। अब संशोधित आईसी योजना दिशानिर्देशों में निम्नलिखित तीन उप-घटक हैं

(i) एमएसएमई एमडीए उप घटक की बाजार विकास सहायता

(II) पहली बार एमएसई निर्यातकों की क्षमता निर्माण सीबीएफटीई उप घटक

(III) अंतर्राष्ट्रीय बाजार खुफिया प्रसार आईएमआईडी के लिए रूपरेखा ।

20. **महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान:** महात्मा गांधी ग्रामीण औद्योगीकरण संस्थान, जो एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक स्वायत्त निकाय है, की स्थापना 2001 में जमनालाल बजाज केंद्रीय अनुसंधान संस्थान, वर्धा में सुधार करके की गई थी । एमजीआईआरआई का उद्देश्य टिकाऊ और आत्मनिर्भर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के गांधीवादी दृष्टिकोण के साथ देश में ग्रामीण औद्योगीकरण की

प्रक्रिया में तेजी लाना और ग्रामीण उद्योग के उत्पादों को उन्नत करने के लिए एसएंडटी सहायता प्रदान करना है ताकि वे स्थानीय और वैश्विक बाजारों में व्यापक स्वीकार्यता प्राप्त कर सकें।

21. **संवर्धनात्मक सेवा संस्थान और कार्यक्रम:** इस योजना में 3 घटक शामिल हैं:

(i) डीसी (एमएसएमई) का कार्यालय डीसी (एमएसएमई) अधिकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अपने अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान करता है।

(ii) एमएसएमई-डीआई (स्थापना) टीसी/टीएस फील्ड कार्यालयों के लिए स्थापना संबंधी व्यय प्रदान करना है।

(iii) ईएसडीपी योजना - उद्यमिता विकास उद्यमियों के कौशल और ज्ञान में सुधार की प्रक्रिया है, इससे जुड़े जोखिमों को ध्यान में रखते हुए, एक व्यावसायिक उद्यम को विकसित करने, प्रबंधित करने और व्यवस्थित करने की क्षमता में वृद्धि होती है। उद्यमिता विकास का पूरा उद्देश्य उद्यमियों की संख्या बढ़ाना है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिलाओं, विकलांग, पूर्व सैनिकों और बीपीएल व्यक्तियों सहित समाज के इसका विभिन्न वर्गों का प्रतिनिधित्व करने वाले युवाओं को स्वरोजगार या उद्यमिता को केरियर विकल्पों में से एक के रूप में मानने के लिए प्रेरित करना है। अंतिम उद्देश्य देश में नए उद्यमों, मौजूदा एमएसएमई की क्षमता निर्माण और उद्यमशीलता की संस्कृति को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम में एसईएनईटी डिवीजन और कार्यालय पुस्तकालय के कामकाज को भी शामिल किया गया है।

22. **सूचना, शिक्षा और संचार:** योजना का उद्देश्य वित्तीय सहायता, तकनीकी सहायता और उन्नयन , अवसंरचना विकास, कौशल विकास और प्रशिक्षण तथा एमएसएमई आदि को बाजार सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से चलाई जा रही मंत्रालय और विकास आयुक्त (एमएसएमई) के कार्यालय की विभिन्न योजनाओं का व्यापक प्रचार करना है। आईईसी अभियान :-

(i) डीसी (एमएसएमई) के मंत्रालय और कार्यालय की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने के लिए एसएमई और व्यक्तियों के बीच जागरूकता पैदा करना

(ii) डीसी (एमएसएमई) के कार्यालय सहित मंत्रालय के तहत विभिन्न संगठनों द्वारा बनाए गए तकनीकी उन्नयन, आधुनिकीकरण, गुणवत्ता सुधार और बुनियादी ढांचे के लिए सुविधाओं का लाभ लेने के लिए एसएमई को प्रेरित करना ।

(iii) प्रशिक्षण और कौशल उन्नयन के माध्यम से अपने मानव संसाधन विकसित करने के लिए जागरूकता पैदा करना और एसएमई को प्रेरित करना ।

(iv) एमएसएमई मंत्रालय और डीसी (एमएसएमई) के कार्यालय द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं और अन्य कमजोर वर्गों के बीच जनसांख्यिकी के साथ-साथ भौगोलिक रूप से जागरूकता पैदा करना हैं।

23. **प्रशिक्षण संस्थाओं को सहायता:** यह योजना (i) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थान और मौजूदा राज्य स्तरीय ईडीआई के लिए बुनियादी ढांचा समर्थन और क्षमता निर्माण के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करती है। (ii) एमएसएमई मंत्रालय के प्रशिक्षण संस्थान द्वारा प्रशिक्षण (कौशल विकास कार्यक्रम/प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण)।

24. **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय निधि:** इसमें एमएसएमई निधि के लिए प्रावधान शामिल है।

25. **निधियों के लिए निधि:** यूके सिन्हा समिति की सिफारिशों की तर्ज पर, एमएसएमई कंपनियों के लिए की विकास पूंजी की समस्या को दूर करने के लिए फंड ऑफ फंड आर्किटेक्चर पर एसआरआई फंड की स्थापना की गई है। यह मुख्य रूप से एमएसएमई को शुरुआती चरणों में मदद करेगा क्योंकि ऐसी इकाइयों के लिए वीसी/पीसी के माध्यम से धन जुटाने की कोई संभावना नहीं है। प्रस्तावित फंड के तहत मदर फंड और कई डॉटर फंड होंगे। यह योजना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है जो एमएसएमई मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक उपक्रम है।

26. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण:** एमएसएमई मंत्रालय सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी) लागू करता है। इस योजना के तहत, राज्य सरकार की परियोजनाओं को सामान्य सुविधा केंद्र (सीएफसी) स्थापित करने और नए / मौजूदा औद्योगिक क्षेत्रों / औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के निर्माण / उन्नयन के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(i) कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) कॉमन प्रोडक्शन/प्रोसेसिंग सेंटर जैसे कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स (सीएफसी) के रूप में मूर्त संपत्तियों का निर्माण (उत्पादन लाइन को संतुलित/सुधारने/सुधारने के लिए जो अलग-अलग इकाइयों द्वारा नहीं किया जा सकता है), डिज़ाइन सेंटर, परीक्षण सुविधाएं, प्रशिक्षण केंद्र, अनुसंधान एवं विकास केंद्र, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, मार्केटिंग डिस्प्ले / सेलिंग सेंटर, कॉमन लॉजिस्टिक्स सेंटर, कॉमन रॉ मैटेरियल बैंक / सेल्स डिपो, आदि। भारत सरकार का अनुदान अधिकतम 20.00 करोड़ रुपये की परियोजना की लागत के 70% तक सीमित होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों / वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों, 50% से अधिक (क) सूक्ष्म / गांव, (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाले समूहों, (सी) एससी / एसटी इकाइयों में सीएफ़सी के लिए भारत सरकार का अनुदान 90% होगा । परियोजना की लागत में भूमि की लागत (परियोजना लागत के अधिकतम 25% के अधीन), भवन, पूर्व-संचालन व्यय, प्रारंभिक व्यय, मशीनरी और उपकरण, विविध अचल संपत्तियां, जल आपूर्ति, बिजली और कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन मनी जैसी बुनियादी सुविधाएं शामिल हैं।

(ii). अवसंरचना विकास: बिजली वितरण नेटवर्क, पानी, दूरसंचार, जल निकासी और प्रदूषण नियंत्रण सुविधाओं, सड़कों, बैंकों, कच्चे माल के भंडारण और विपणन आउटलेट, सामान्य सेवा सुविधाओं और नए/मौजूदा औद्योगिक सम्पदा/क्षेत्र में एमएसई के लिए तकनीकी बैकअप सेवाओं जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए परियोजनाओं से मिलकर बनता है। भारत सरकार का अनुदान परियोजना की लागत के 60% (औद्योगिक संपदा के लिए रु.10.00 करोड़ और फ्लैट फैक्टरी परिसर के लिए रु.15.00 करोड़) तक सीमित होगा। पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों, द्वीप क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों / वामपंथी उग्रवाद प्रभावित जिलों, औद्योगिक क्षेत्रों / सम्पदाओं / फ्लैट फैक्ट्री परिसर में 50% से अधिक (क) सूक्ष्म / गांव, (ख) महिलाओं के स्वामित्व वाली परियोजनाओं के लिए भारत सरकार का अनुदान 80% होगा। (ग) एससी / एसटी इकाइयां।

यह योजना चार उप-योजनाओं में विभाजित है, अर्थात् (01) सूक्ष्म और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एमएसई-सीडीपी), (02) टूल रूम और तकनीकी संस्थान, (03) एनईआर और सिक्किम में एमएसएमई को बढ़ावा देना और (04) अवसंरचना टीसी/टीएस/डीआई को सहायता और लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय (कार्यालय आवास का निर्माण) और अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 से अलग लाइन प्रविष्टि के तहत दिखाया गया है ।

27. अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण

27.01. सूक्षम और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कर्यक्रम (एसएसई-सीडीपी) : सूक्षम और लघु उद्यम क्लस्टर विकास कर्यक्रम (एसएसई-सीडीपी)

27.02. औजार कक्ष और तकनीकी संस्थे: औजार कक्ष और तकनीकी संस्थे

27.03. एमएसएमई पूर्वोत्तर एवं सिक्किम को प्रोत्साहन: औजार कक्ष और तकनीकी संस्थे

27.04. टीसी / टीएस / डीआई को अवसंरचना सहायता और लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय (कार्यालय आवास का निर्माण) - फील्ड कार्यालयों के लिए नए भवन के निर्माण और मौजूदा भवनों में परिवर्तन / परिवर्धन से संबंधित कार्यों और नए आवासीय क्वार्टरों के निर्माण के लिए भूमि खरीदना।

28. **नए प्रौद्योगिकी केंद्रों की स्थापना:** विश्व बैंक सहायता प्राप्त प्रौद्योगिकी केंद्र प्रणाली कार्यक्रम (टीसीएसपी) के तहत स्थापित किए जा रहे 18 मौजूदा प्रौद्योगिकी केंद्रों और 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क को बढ़ाने के लिए, भारत सरकार एक योजना लागू कर रही

है, 20 प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) और 100 विस्तार केंद्र (ईसी) नए प्रौद्योगिकी केंद्रों / विस्तार केंद्रों की स्थापना, टीसी/ईसी की पहुंच बढ़ाने के लिए 6000 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से स्थापित करना । ये टीसी/ईसी एमएसएमई और कौशल चाहने वालों को प्रौद्योगिकी सहायता, कौशल, ऊष्मायन और परामर्श जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करते हैं, जिससे कौशल चाहने वालों की रोजगार क्षमता में वृद्धि, एमएसएमई की प्रतिस्पर्धात्मकता और देश में नए एमएसएमई का निर्माण होता है।

29. **अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण-ईएपी घटक:** वित्तीय वर्ष 2022-23 से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग (ईएपी) योजना का नाम बदलकर टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम्स प्रोग्राम (टीसीएसपी) ईएपी कर दिया गया है।

30. देश में प्रौद्योगिकी केंद्रों के नेटवर्क का विस्तार करने के लिए, एमएसएमई मंत्रालय 2200 करोड़ रुपये की अनुमानित अनुमानित लागत पर टेक्नोलॉजी सेंटर सिस्टम प्रोग्राम (टीसीएसपी) लागू कर रहा है, जिसमें 15 नए प्रौद्योगिकी केंद्र (टीसी) स्थापित करने और देश भर में मौजूदा टीसी अपग्रेड करने के लिए विश्व बैंक ऋण सहायता शामिल है। 15 नई टीसी में से 5 टीसी ने (सिविल कार्य) पूरा कर लिया है, 8 टीसी अग्रिम चरण में हैं और 2 टीसी प्रारंभिक चरण में हैं।

31. **कार्यालय आवास का निर्माण-लोक निर्माण कार्यों पर पूंजी परिव्यय:** कार्यालय का निर्माण आवास - वित्तीय वर्ष 2022-23 से लोक निर्माण योजना पर पूंजीगत परिव्यय को अवसंरचना विकास और क्षमता निर्माण के तहत स्थानांतरित कर दिया गया है।

32. **एमएसएमई कार्यनिष्पादन - आरएएमपी का उत्थान एवं त्वरावर्धन:** सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के प्रदर्शन (आरएएमपी) को बढ़ाना और तेज करना, विश्व बैंक समर्थित केंद्रीय क्षेत्र की योजना के लिए एक प्रस्ताव है, जो कोरोना वायरस रोग 2019 (कोविड) और सूक्ष्म, लघु मंत्रालय की लचीलापन और पुनर्प्राप्ति और मध्यम उद्यम (एमओ एमएसएमई) में विभिन्न हस्तक्षेपों का समर्थन करता है, कार्यक्रम का उद्देश्य बाजार और ऋण तक पहुंच में सुधार करना, केंद्र और राज्य में संस्थानों और शासन को मजबूत करना, केंद्र-राज्य संबंधों और साझेदारी में सुधार करना, विलंबित भुगतान के मुद्दों का समाधान करना और एमएसएमई को हरा-भरा बनाना है। बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए, चल रहे एमएसएमई मंत्रालय के कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए वितरण लिंक्ड संकेतक डीएलआई के खिलाफ आरएएमपी के माध्यम से फंड मंत्रालय के बजट में प्रवाहित होगा।

33. **डाटाबेस अनुसंधान मूल्यांकन तथा अन्य कार्यालय सहायता कार्यक्रम:** योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर नियमित / समय-समय पर संगत और विश्वसनीय डेटा एकत्र करना, एमएसएमई के सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों के साथ-साथ उनके लिए उपलब्ध अवसरों का अध्ययन और विश्लेषण करना है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण और इन सर्वेक्षणों के परिणामों का उपयोग करने के लिए, इस मंत्रालय के लिए योजना के मूल्यांकन अध्ययन और नीति अनुसंधान के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन, सरकार द्वारा उचित रणनीतियों और हस्तक्षेप के उपायों को डिजाइन करना हैं। इस योजना के तहत, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाले और/या प्रबंधित उद्यमों के आंकड़े भी एकत्र किए जाते हैं।

34. **सर्वेक्षण, अध्ययन तथा नीतिगत अनुसंधान:** इस योजना का मुख्य उद्देश्य एमएसएमई के विभिन्न पहलुओं और विशेषताओं पर नियमित / समय-समय पर संगत और विश्वसनीय डेटा एकत्र करना, एमएसएमई के सामने आने वाली बाधाओं और चुनौतियों के साथ-साथ उनके लिए उपलब्ध अवसरों का अध्ययन और विश्लेषण करना है। अर्थव्यवस्था के उदारीकरण और वैश्वीकरण और इन सर्वेक्षणों के परिणामों का उपयोग करने के लिए, इस मंत्रालय के लिए योजना के मूल्यांकन अध्ययन और नीति अनुसंधान के लिए विश्लेषणात्मक अध्ययन, सरकार द्वारा उचित रणनीतियों और हस्तक्षेप के उपायों को डिजाइन करना। इस योजना के तहत, महिलाओं, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के स्वामित्व वाले और/या प्रबंधित उद्यमों के आंकड़े भी एकत्र किए जाते हैं।

35. **राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हब केंद्र:** राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हब को औपचारिक रूप से अक्टूबर 2016 में माननीय प्रधान मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था। हब सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति आदेश 2012 के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति के उद्यमियों को पेशेवर सहायता प्रदान करता है। लागू व्यवसाय प्रथाओं और स्टैंड अप इंडिया पहल का लाभ उठाएं। यह योजना राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड (एनएसआईसी) के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है। हब के कार्यों में एससी , एसटी उद्यमों और उद्यमियों के बारे में जानकारी का संग्रह, मिलान और प्रसार , कौशल प्रशिक्षण और ईडीपी, विक्रेता विकास के माध्यम से मौजूदा और संभावित एससी, एसटी उद्यमियों के बीच क्षमता निर्माण शामिल है।

37. **खरीद और विपणन सहायता योजना (पीएमएस)-राज्य:** राष्ट्रीय / अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों / प्रदर्शनियों / एमएसएमई एक्सपो में आयोजन / भागीदारी जैसी नई बाजार पहुंच पहल को बढ़ावा देना आदि। विपणन में पैकेजिंग के महत्व / विधियों / प्रक्रिया, नवीनतम पैकेजिंग प्रौद्योगिकी, आयात-निर्यात नीति और प्रक्रिया, जेम पोर्टल, एमएसएमई कॉन्क्लेव, नवीनतम विकास के बारे में जागरूकता पैदा करने और एमएसएमई को शिक्षित करने के लिए। व्यापार मेलों, डिजिटल विज्ञापन, ई-मार्केटिंग, जीएसटी, जीईएम पोर्टल, सार्वजनिक खरीद नीति और अन्य संबंधित विषयों आदि के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करना। राज्य सरकारों द्वारा अपने विभागों / संगठनों / कॉपीराइट / स्वायत्त निकायों और एजेंसियों के माध्यम से निधि प्रवाह।